न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 99 सन 2018

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता सायल

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 08/04/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 383 की 17.00 बीधा यानी 4.2996हैक एवं खाता संख्या 154 की 26.13 बीधा यानी 6.7405हैक एवं खाता संख्या 171 में सयुक्त तौर से 220 हिस्सा भूमि स्थित है।

उक्त भूमि सायल के दादा भूराराम वल्द किसनाराम खातेदार काश्तकार थे सायल के दादा भूराराम वल्द किसनाराम के देहान्त होने के बाद उसके चार पुत्रगण मदनलाल, सोहनलाल, हरिसिह , बलराम पर औद हुई वर्तमान में उक्त भूमि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की कुल 12.0300हैक भूमि स्थित है जिसमें गैरसायल न0 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 467/506 की कुल 12.7630है में से गैरसायल न0 1 का 220 हिस्सा में 1/4 हिस्सा दर्ज है।

उक्त भूमि गैरसायल न0 1 के नाम बतौर हिन्दु मुश्तरका खानदान दर्ज है अर्थात गैरसायल के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें सायल का जन्म से हक हिस्सा है अर्थात सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का गैरसायल न0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है इसलिये वाद भूमि सायल व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 गैरसायल न0 1 के साथ बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का वाद पेश किया जा चुका है उक्तानुसार ही धोषणा करवाने के अधिकारी है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाते हुए गैरसायल न0 1 वाद भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो सायल को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे वाद भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की कुल 12.0300हैक में से गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 467/506 की कुल 12.7630हैक में से 220 में से 1/4 हिस्सा भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है सायल गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में किसी कदर भी भूमि पाने का अधिकारी नही है परिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिये वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिसमें सायल का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल न0 1 ने जीवन में कभी भी व्यसन नही किया गया है ना ही वाद भूमि रहन बैय कर रहा है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में झुठे तथ्य अंकित किये गये है सायल वाद भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है ना ही सायल का प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार है गैरसायल न0 1 वृद्व व्यक्ति है और वाद भूमि से परिवार व पुत्रीयों के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है सायल गैरसायल न0 1 के कहने में नही है सायल वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर बैय करना चाहता है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 2 ,3 की और से पेरोकार राज उपस्थित तथा फोरमल पक्षकार होने के कारण जबाब की आवश्यकता नही गैरसायल न0 1 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 383 की 17.00 बीधा यानी 4.2996हैक एवं खाता संख्या 154 की 26.13 बीधा यानी 6.7405हैक एवं खाता संख्या 171 में सयुक्त तौर से 220 हिस्सा भूमि स्थित है।

उक्त भूमि सायल के दादा भूराराम वल्द किसनाराम खातेदार काश्तकार थे सायल के दादा भूराराम वल्द किसनाराम के देहान्त होने के बाद उसके चार पुत्रगण मदनलाल, सोहनलाल, हरिसिह , बलराम पर औद हुई वर्तमान में उक्त भूमि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 326/273 की कुल 12.0300हैक भूमि स्थित है जिसमें गैरसायल न0 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है एवं रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 467/506 की कुल 12.7630है में से गैरसायल न0 1 का 220 हिस्सा में 1/4 हिस्सा दर्ज है।

उक्त भूमि गैरसायल न0 1 के नाम बतौर हिन्दु मुश्तरका खानदान दर्ज है अर्थात गैरसायल के नाम से दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें सायल का जन्म से हक हिस्सा है अर्थात सायल व दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का गैरसायल न0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है इसलिये वाद भूमि सायल व दावा के प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 गैरसायल न0 1 के साथ बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का वाद पेश किया जा चुका है उक्तानुसार ही धोषणा करवाने के अधिकारी है

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाते हुए गैरसायल न0 1 वाद भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है यदि गैरसायल अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो सायल को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन बेय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे वाद भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है सायल गैरसायल न0 1 के जीवनकाल में किसी कदर भी भूमि पाने का अधिकारी नही है परिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिये वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिसमें सायल का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल न0 1 ने जीवन में कभी भी व्यसन नही किया गया है ना ही वाद भूमि रहन बैय कर रहा है सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में झुठे तथ्य अंकित किये गये है सायल वाद भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है ना ही सायल का प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार है गैरसायल न0 1 वृद्व व्यक्ति है और वाद भूमि से परिवार व पुत्रीयों के सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है सायल गैरसायल न0 1 के कहने में नही है सायल वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर बैय करना चाहता है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व मे सायल के दादा भूराराम पुत्र किसनाराम के नाम से दर्ज थी सायल के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उसके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई है जो वर्तमान जमाबन्दी से साबित है अर्थात वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम विरास्तन से दर्ज होनी प्रतीत होती है जो वाद में सायल सबुतों के आधार पर साबित होगी प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार है जिसके कारण वह कभी भी वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी भी प्रकार से मुन्तकिल करने हेतु स्वतन्त्र है।

गैरसायल न0 1 यदि वाद में सायल के हकों का निर्धारण होने से पूर्व ही वाद भूमि किसी भी प्रकार से मुन्तकिल कर देता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी गैरसायल को नही अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में साबित होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 07.08.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/4/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर